न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 76/22 निर्णय दिनांकः 14-02-2023

1. इमीचन्द पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी 4 बीडीवाई बरसलपुर तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बज्जू।
2. समसदीन पुत्र गायड़खॉं जाति मुसलमान निवासी राववाला तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील विरुद्व आदेश दिनांक शून्य
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन के आदेश दिनांक शून्य जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन आवेदन निरस्त किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 22 बीएसएम के मुरब्बा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नम्बर 87/14 की भूमि आवंटन किये जाने हेतु श्रीमान् सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर लम्बे समय तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अदालत मातहत द्वारा दिनांक शून्य को अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना सरासर एकतरफा तौर पर अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जो कानून एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट के धारण में 4 बीघा भूमि कमाण्ड से अधिक भूमि आती है व सबूत अपूर्ण है। जबकि आवंटन नियमों में वरियता अथवा पात्रता निर्धारण करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश आवंटन नियमों के विपरीत होने से व कानून एवं विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

पत्रावली में अपीलांट को नोटिस जारी करने का आदेश नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है, सद्भावी काश्तकार है व बीकानरे, राजस्थान का मूल निवासी है। अपीलांट भूमि आवंटन की पात्रता रखता है। अंदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट का आवेदन निरस्त किया गया है जो कानून व विधि के विरूद्व है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक शून्य के विरूद्व अपील दिनांक 09—05—22 को पेश की है। जो अधिक विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र अपीलांट के धारण में पूर्व में ही 4 बीघा भूमि अधिक होने के कारण वरियता से बाहर मानते हुए विधि सम्मत तरीके से खारिज किया गया है। अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा दिनांक 29—02—2008 को सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ के समक्ष विशेष आवंटन के तहत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजात् भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलांट के धारण में 4 बीघा भूमि कमाण्ड से अधिक होने व सबूत अपूर्ण होने से वरियता से बाहर होने के कारण आवेदन खारिज किया जाता है।

(2) हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष चक 22 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 87/14 तादादी 25 बीघा भूमि के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र पर आवंटन सलाहकारसमिति की राय से यह निर्णय लिया गया है कि प्रार्थी के धारण में भूमि 4 बीघा कमाण्ड से अधिक होने के कारण व सबूत अपूर्ण होने से वरियता से बाहर मानते हुए अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन प्रार्थना व अन्य आवेदकों के प्रार्थना पत्र की जॉच के उपरान्त पाया गया कि अपीलांट के धारण में पूर्व में ही अधिक निहित है व इसी आधार पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र पूर्व में अधिक भूमि धारण में होने व सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है।

(4) चूंकि अपीलांट के धारण में पूर्व में ही अधिक भूमि होने से अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र आवंटन नियमों के विपरीत होने से व पर्याप्त सबूतों के अभाव में, अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र विधि सम्मत रूप से खारिज किया गया है। अपीलांट् द्वारा न्यायालय के समक्ष भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे साबित होता हो कि उनके धारण में 4 बीघा से कम भूमि रही हो। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक शून्य यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14/2/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

14/2/2023

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर